भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 93*

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष सुरक्षा पोर्टल

*93. डॉ. लता वानखेड़े:

श्री सतीश कुमार गौतम**:**

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आयुष सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से विनियामक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है/कार्यान्वित की गई है;

(ख) क्या हाल ही में ऐसी किन्हीं सफलताओं का पता चला है जिनसे भ्रामक विज्ञापनों की पहचान करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में उक्त पोर्टल की प्रभावशीलता का पता चलता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ में नागरिकों और पेशेवरों में आयुष सुरक्षा पोर्टल की पहुंच का विस्तार करने की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 25 जुलाई, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में नियामक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक आईटी-सक्षम ऑनलाइन पोर्टल "आयुष सुरक्षा" विकसित किया है और दिनांक 30 मई 2025 को इसका शुभारंभ किया है। इस पोर्टल में संदिग्ध प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं की रियल-टाइम ट्रैकिंग करने और भ्रामक/आपत्तिजनक विज्ञापनों को पकड़ने के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड तैयार किया गया है, जिससे त्वरित नियामक कार्रवाई और गहन डेटा विश्लेषण संभव है।

यह पोर्टल उपभोक्ताओं, आयुष स्वास्थ्य पेशेवरों को रिपोर्ट करने और नियामक प्राधिकारियों को भ्रामक विज्ञापनों, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल की सभी शिकायतों की समीक्षा राष्ट्रीय भेषजसतर्कता केंद्र (एनपीवीसीसी) एवं आयुष मंत्रालय द्वारा की जा सकती है, इस प्रकार नियामक ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

(ख) और (ग): चूंकि यह पोर्टल हाल ही में शुरू किया गया है, इसलिए अब तक इस पर कुछ ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह पोर्टल दर्ज मामलों की स्थिति की सार्वजनिक जानकारी प्रदान करता है और नियामक प्रक्रियाओं में विश्वास को बढ़ावा देता है।

(घ): पोर्टल के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, छत्तीसगढ़ सहित देश भर के भेषजसतर्कता केंद्रों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों के लिए नियमित रूप से संरचित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये पहल पोर्टल की विशेषताओं की समझ बढ़ाने और आयुष स्वास्थ्य पेशेवरों तथा आम जनता के बीच इसके व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम के तहत, छत्तीसगढ़ में तीन कार्यात्मक परिधीय भेषजसतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (आयुर्वेद)
2. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बिलासपुर (आयुर्वेद)
3. होम्योपैथी विभाग, एम्स, रायपुर (होम्योपैथी)

*****